



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 कार्तिक, 1944 (श०)

संख्या - 540 राँची, गुरुवार, 17 नवम्बर, 2022 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

11 नवम्बर, 2022

विषय:-केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) अंतर्गत 56281.20 लाख रु. की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त रामगढ़ शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

संख्या-SUDA/AMRUT 2.0/Ramgarh WS-79/2022/UDHD/3877-- नगर विकास एवं आवास विभाग 74वें संविधान संशोधन के आलोक में नागरिकों को मौलिक/बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है। इस क्रम में रामगढ़ शहरी जलापूर्ति परियोजना का सूत्रण किया गया है। इसके चरणबद्ध क्रियान्वयन के निमित्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार किया गया है, जिसके अनुसार रामगढ़ शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्राक्कलित राशि 56281.20 लाख (पाँच सौ बासठ करोड़

इक्कासी लाख बीस हजार) रुपये है। यह परियोजना आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अमृत 2.0 योजनांतर्गत स्वीकृत की गई है एवं तैयार किए गए DPR पर विभागीय तकनीकी कोषांग द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. वर्तमान में जलापूर्ति हेतु आवश्यक संसाधनों की सीमित क्षमता के कारण रामगढ़ नगर परिषद् एवं छावनी परिषद् क्षेत्र के सभी घरों में जलापूर्ति कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया जा सका है।

3. रामगढ़ नगर परिषद् एवं छावनी परिषद् क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में कार्यरत जलापूर्ति व्यवस्था अंतर्गत निम्नलिखित अवयव उपलब्ध है:-

Sl. No.	Components	Description	
		Ramgarh Nagar Parishad	Ramgarh Cantonment Board
1	Source	Damodar River	
2	Intakewell	4 Nos. of Intakewells (3.96 MLD, 7.82 MLD, 4.74 MLD & 4.43 MLD)	2 Nos. of Intakewells (9.80 MLD & 12 MLD)
3	Raw Water Rising Main (RWRM)	RWRM for 4 Water Supply Schemes (WSS)-Length 9.94 KM, Dia. 300mm & 350mm	RWRM for 2 WSS-Length 1.1 KM, Dia. 300mm & 400mm
4	WTP	4 WTPs (2MLD, 3.8MLD, 2.5MLD & 2.37MLD)	2 WTPs (9MLD & 6MLD)
5	Clear Water Rising Main (CWRM)	CWRM from 4 WTPs- Length 30.789.KM, Dia. 300mm, 250mm & 200mm.	CWRM from 2 WTPs- Length 19.6 KM, Dia. 300mm, 250mm & 200mm
6	Distribution Network	Distribution Network length of all 4 WSS is 179.31 KM	Distribution Network length of 2 WSS is 85.831 KM
7	Elevated Storage Reservoirs (ESR)/ Underground Reservoir (UGR)	9 ESRs (0.525MLD-1No., 0.675MLD-1No., 0.35MLD-1No., 0.15MLD-4Nos., 0.13MLD-2Nos.)	2 ESRs (0.3MLD Old & 1.0 MLD New) and 3 UG reservoirs (0.13MLD, 0.3MLD & 0.8MLD)

4. वर्तमान में जलापूर्ति हेतु आवश्यक संसाधनों की सीमित क्षमता के कारण उत्पन्न कठिनाईयों के निराकरण एवं भविष्य के मांग को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2052 तक की योजना के अनुसार Water Treatment Plant एवं Network Design तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत मुख्यतः विभिन्न क्षमता वाले कुल 10 नए जल-मिनारों का निर्माण 89 MLD का Water Treatment Plant, 29.638 KM Raw Water Rising Main, 82 KM Clear Water Rising Main का कार्य किया जाएगा, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:-

Sl. No.	Proposed Project Components	Details
1	Source	Patratu Dam
2	Tapping Point	6 X 6 MT.
3	Raw Water Gravity Main	DI K9 1000 MM. dia Length- 800 mt.
4	Raw Water Sump and Pump Room	2 Million Litre sump with Pump room
5	Raw Water Rising Main	
A	Sump to Junction Point	DI K9 1000 MM. dia., Length- 18.562 KM
B	Junction Point to WTP Nagar Parishad	DI K9 900 MM. dia., Length- 0.919 KM
C	Junction Point to WTP Cantonment Board	DI K9 700 MM. dia., Length- 10.157 KM

6	Water Treatment Plants (WTP)	Nagar Parishad-49 MLD Capacity & Cantonment Board Area-40 MLD Capacity
7	Clear Water Rising Main	
A	WTP-Nagar Parishad to different ESRs	DI K9 200 mm to 600 MM dia., Length 67 KM
B	WTP-Cantonment Board to different ESRs	DI K9 200 mm to 600 MM dia., Length 15 KM
8	Elevated Storage Reservoirs (ESR)	6 Nos. of ESRs in Nagar Parishad Area (1MLD -1No., 1.5 MLD -2 Nos., & 2 MLD- 3 Nos.) & 5 Nos. in Cantonment Board Area (1.7 MLD – 1No., 1MLD- 1No., 2MLD – 2Nos., & 1.8 MLD- 1No.)
9	Distribution Network	Nagar Parishad Area (DI K7 100 mm to 500 MM dia., Length- 467.50 KM) & Cantonment Board Area (DI K7 100 mm to 500 MM dia., Length- 231.30 KM)
10	House Service Connections	Nagar Parishad Area 24730 Nos. & Cantonment Board Area 18656 Nos.; Total 43386 Nos.
11	SCADA	SCADA will cover both Nagar Parishad and Cantonment Board Area
12	Operation & Maintenance for the project including Tapping point from the Patrattu Dam, Gravity main, Raw Water Sump, Pumping Machinery, Raw Water Rising Main, WTPs, Clear Water Rising Main, ESRs, Electrical Equipment, Water Distribution Network, HSCs, Existing 4 Nos. water supply schemes from intake to distribution systems and SCADA system	5 years.

5. इस परियोजना के अंतर्गत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी Service Level Benchmark को ध्यान में रखा गया है एवं अमृत 2.0 मिशन के दिशा-निर्देशिका की कंडिका-4 के उप कंडिका-4.1 एवं कंडिका 6 के उप कंडिका 6.5.2(x) के आलोक में इस परियोजना के DPR में रख-रखाव (Operation & Maintenance) की तय समय-सीमा 5 वर्ष निर्धारित की गई है।
6. इस परियोजना के क्रियान्वयन की अनुमानित प्राक्कलित राशि पर विभागीय तकनीकी कोषांग द्वारा तकनीकी स्वीकृत प्रदान की गई है, जो निम्नवत् है:-

Sl. No.	Item Description	Amount (Rs. in Lakhs)
1	Panel Room at Tapping point & 2 tapping Points at enroute villages	16.19
2	Raw water Sump and Pump House with roads and compound wall	293.36
3	Gravity Main from Patrattu dam	283.94
4	Raw Water Pumping Mains (DI K-9 Pipes)	7823.34
5	Water Treatment Plant	1800.34
6	Clear water raising main (DI K-9 Pipes)	6699.96
7	Elevated Storage Reservoir with Compound Walls	1746.29
8	Distribution System (DI K-7 Pipes)	14782.89
9	House Service Connection (43386)	2058.23
10	Staff Quarters at Pump House	35.71
11	Staff Quaters at 49 MLD Water Treatment Plant	35.71
12	Staff Quaters at 40 MLD Water Treatment Plant	35.71

Sl. No.	Item Description	Amount (Rs. in Lakhs)
13	NH Crossing, and Railway crossing	513.84
14	Nala Crossing	659.28
15	ROB Pipe Laying	85.44
16	Cross Connection to Existing Main	6.45
17	Provisional Items	19.87
18	Electrical & Pumps	1164.06
19	SCADA System	238.22
	Capital Cost	38298.83
	GST@18%	6893.79
	Total Capital Cost with GST	45192.62
A	Total Capital Cost of Ramgarh Nagar Parishad(32 Wards-18 New+14- upgradation)+ Cantonment (8 Wards-New Water supply)	45192.62
B	Labour Cess @ 1% (on A)	451.93
C	Environmental Management Plan (Pre-Construction, Construction, and O&M)	18.67
D	Deposit for Railway crossing, NH crossing, and Electrical Department	212.70
i	Railway Crossing(7 Nos.): 6 in RNP and 1 in Cantonment	123.90
ii	NH Crossing (1 No.)	11.80
iii	Electrical Department Deposit	77.00
E	JARDCL Road Estimate (Earthwork and Restoration)-L1+L2	1934.08
F	Centage	794.78
G	Consultancy Charges (DPR & PMC)	1322.78
	Total CAPEX (A to G)	49927.56
H	Operation & Maintenance Charges for total 5 Years	5885.93
I	Add GST@18% without Power charges	251.24
J	Labour Cess @ 1% on O&M without Electric Charges	16.47
	Total OPEX (H to J)	6153.64
	Total (CAPEX + OPEX) (A to J)	56081.20
K	Land Acquisition	200.00
	Grand Total cost (CAPEX+OPEX+Land Acquisition)	56281.20

7. अमृत 2.0 मिशन दिशा-निर्देशिका के कंडिका 5 के उप कंडिका 5.4 में योजनाओं हेतु वित्त पोषण अनुपात निर्धारित है, जिसमें 1 लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों हेतु CAPEX में केन्द्रांश 1/3 (एक तिहाई) एवं राज्यांश 2/3 (दो तिहाई) निर्धारित है एवं कंडिका 6 के उप कंडिका 6.5.2 (x) के अनुसार CAPEX का वहन उपभोक्ता शुल्क/राज्य योजना अंतर्गत करने का प्रावधान है। पूर्व में इस योजना का प्राक्कलन SoR 2021 के अनुसार बनाया गया था, जिसमें GST 12% था। उससे योजना की प्राक्कलित राशि 477.57 करोड़ (CAPEX 419.86 करोड़ एवं OPEX 57.71 करोड़) रुपये हुई थी (भूमि अधिग्रहण की लागत छोड़ कर)। योजना की इस लागत राशि पर अमृत 2.0 अंतर्गत निर्धारित उपरोक्त वित्त पोषण अनुपात पर अमृत 2.0 योजना अंतर्गत मुख्य सचिव, झारखण्ड के अध्यक्षता में गठित State High Power Steering Committee(SHPSC) की दिनांक 09.03.2022 को आहूत बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य

मंत्रालय, भारत सरकार के अध्यक्षता में गठित Apex Committee की दिनांक 16.03.2022 को आहूत बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है जो निम्नवत् था:-

(Amount in Lakhs)

Total project cost (CAPEX + OPEX)	CAPEX	OPEX	Funding Sources (CAPEX)		
			Central Share	State Share	ULB (15 th FC) Share
47757.00	41986.00	5771.00	13995.00	24363.00	3628.00

योजना के रख-रखाव एवं संचालन में व्यय होने वाली (OPEX) राशि का वहन उपभोक्ता शुल्क की राशि से करने का प्रावधान है। यदि इससे राशि पूरा नहीं होता है, तो राज्य योजना अंतर्गत सुसंगत मद की राशि से इसका वहन विभाग द्वारा किया जायेगा।

8. झारखण्ड सरकार का Schedule of Rate (SoR) 2022 प्रकाशित हो जाने के पश्चात् उक्त DPR को SoR दर के अनुसार Revised किया गया, जिसमें GST का दर भी 12% से बढ़कर 18% हो गया है। Revised DPR में योजना की कुल लागत राशि 56281.20 लाख (CAPEX Rs. 49927.56 लाख + OPEX Rs. 6153.64 लाख एवं भूमि अधिग्रहण की राशि 200.00 लाख) रु० हो गया है। चूँकि केन्द्रांश राशि 13995.00 लाख रु० पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, इसलिए योजना लागत में हुई वृद्धि राशि 8324.20 लाख (CAPEX राशि 7941.56 लाख रु० एवं OPEX राशि 382.64 लाख रु०) का वहन राज्य योजना अंतर्गत सुसंगत मद से किया जाएगा। उपरोक्त कंडिका 7 में वर्णित योजना लागत राशि में वृद्धि हो जाने के पश्चात् संशोधित वित्त पोषण निम्नलिखित मदों से किया जाएगा:-

(Amount in Lakhs)

Project cost	Total Cost	Funding Sources (CAPEX)				State budget/User Charges (OPEX)
		Central Share	State Share	ULB (15 th FC) Share	Additional State Share	
CAPEX	49927.56	13995.00	24363.00	3628.00	7941.56	-
OPEX	6153.64	--	--	--	--	6153.64
Total	56081.20	13995.00	24363.00	3628.00	7941.56	6153.64

भूमि अधिग्रहण की राशि 200.00 लाख रु० का वहन राज्य योजना अंतर्गत सुसंगत मद की राशि से किया जायेगा।

9. उपरोक्त तालिका के अनुसार इस परियोजना के कार्यान्वयन की लागत राशि (CAPEX) 49927.56 लाख रु० 5 वर्षों तक के परिचालन एवं रख-रखाव में व्यय होने वाली राशि (OPEX) 6153.64 लाख रु० एवं भूमि अधिग्रहण में सम्भावित व्यय होने वाली राशि 200 लाख रु० है, अर्थात् कुल प्राक्कलित राशि 56281.20 लाख रु० है। CAPEX की राशि 13995.00 लाख रु० केन्द्रांश मद से, राशि

24363.00 लाख रु० राज्यांश मद से, राशि 3628.00 लाख रु० निकाय अंश की राशि 15वें वित्त आयोग से, राशि 7941.56 लाख रु० अतिरिक्त राज्यांश की राशि विभागीय बजट के सुसंगत मद से एवं भूमि अधिग्रहण हेतु राशि 200.00 लाख रु० राज्य योजना अंतर्गत सुसंगत मद की राशि से वहन किया जायेगा। योजना के परिचालन एवं रख-रखाव (OPEX) में राशि 6153.64 लाख रु० 5 वर्षों में व्यय होना संभावित है, जिसका वहन उपभोक्ता शुल्क एवं राज्य योजना अंतर्गत सुसंगत मद की राशि से किया जायेगा।

10. अतिरिक्त राज्यांश मद की राशि का वहन राज्य योजना अंतर्गत मुख्य शीर्ष 4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-60, लघुशीर्ष 051 निर्माण, उपशीर्ष-51-वृहत शहरी परियोजना एवं नागरिक आधारभूत संरचना विस्तृत शीर्ष 05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य, विपत्र कोड 48-S-4217-60-051-00-05-45 से किया जायेगा। साथ ही परियोजना के संचालन एवं रख-रखाव में (5 वर्षों के लिए) व्यय होने वाली राशि (OPEX) का वहन मुख्य शीर्ष-2215-जल पूर्ति तथा सफाई उप मुख्य शीर्ष-02 मल, जल तथा सफाई-लघुशीर्ष-192, नगरपालिकाओं/नगरपालिका परिषदों को सहायता उपशीर्ष-06-पानी तथा मल-जल सफाई के लिए नगर पार्षदों एवं नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान, 79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन), विपत्र कोड-48S22150219206000679 से किया जायेगा।
11. अमृत मिशन अंतर्गत जलापूर्ति योजनाओं का रखरखाव 5 वर्ष तक किया जाना निर्धारित है। दिनांक 28.12.2016 को आहूत मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या 12 के रूप में अमृत मिशन अंतर्गत गिरिडीह शहरी जलापूर्ति योजना हेतु Model Bid Document की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें उल्लेखित है कि इस Model Bid Document का उपयोग अमृत योजना अंतर्गत सभी जलापूर्ति योजनाओं के लिए किया जा सकेगा (विभागीय संकल्प संख्या 17 दिनांक 02.01.2017)। अमृत 2.0 मिशन दिशा-निर्देशिका के अनुसार भी योजनाओं का रख-रखाव 5 वर्ष तक किया जाना निर्धारित है। इसलिए रामगढ़ शहरी जलापूर्ति योजना हेतु पूर्व में मंत्रिपरिषद् से स्वीकृत Model Bid Document का उपयोग किया जायेगा एवं यदि आवश्यकता हुई तो इसमें विभागीय स्तर से संशोधन किया जा सकता है।
12. उपरोक्त परियोजना हेतु निर्धारित अवयवों के निर्माण हेतु आवश्यक भूखंड चिन्हित कर ली गई है एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।
13. रामगढ़ नगर परिषद् एवं छावनी परिषद् में बड़ी जलापूर्ति योजना के निर्माण क्रियान्वयन हेतु सक्षम स्तर के मानव बल की कमी है, इसलिए उक्त परियोजना

का क्रियान्वयन जुडको लि० द्वारा किया जायेगा। जुडको लि० द्वारा Online माध्यम से निविदा खुली प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया राष्ट्रीय (Open Competitive Bidding-National) के तहत आमंत्रित किया जायेगा। साथ ही निर्धारित प्रक्रियानुसार निविदा कार्य का निष्पादन ससमय करते हुए कार्य आवंटित किया जायेगा एवं योजना का क्रियान्वयन कराया जायेगा।

14. चयनित संवेदक द्वारा उद्धृत राशि स्वीकृत प्राक्कलित राशि से अनुज्ञेय सीमा तक अधिक होने की स्थिति में सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत कार्य आवंटित किया जायेगा। इस क्रम में अतिरिक्त राशि का वहन राज्य योजना अंतर्गत सुसंगत मद की राशि से किया जायेगा। साथ ही योजना क्रियान्वयन के क्रम में किन्हीं कारणों से योजना लागत में वृद्धि होती है तो उस राशि का वहन भी राज्य योजना अंतर्गत सुसंगत मद की राशि से किया जायेगा।
15. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में अमृत अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं हेतु प्राप्त सभी राशि अमृत 2.0 हेतु नामित State Nodal Agency, राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) अंतर्गत अमृत मिशन के पृथक बैंक खाते (SNA A/C) में संधारित किया जाता है। यह बैंक खाता वित्त विभाग से अनुमोदनोपरांत संधारित किया गया है। इसी बैंक खाते से उपर्युक्त परियोजना का क्रियान्वयन करने वाली संस्था को नियमानुसार राशि का आवंटन राज्य शहरी विकास अभिकरण के स्तर से किया जायेगा।
16. परियोजना के रख-रखाव हेतु निर्धारित 5 वर्ष की समय-सीमा के लिए एक कार्य योजना (O & M Plan) तैयार की गई है, जिसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:-
 - क) रख-रखाव हेतु चयनित संस्था की वांछित योग्यता का निर्धारण किया गया है।
 - ख) जलापूर्ति की गुणवत्ता एवं निर्बाध सेवा को ध्यान में रखते हुए मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं, जिनके आधार पर उक्त कार्य हेतु चयनित संवेदक के भुगतान का आकलन किया जायेगा।
 - ग) रख-रखाव अवधि के दौरान संवेदक द्वारा मीटर रिडींग कर निकाय द्वारा निर्धारित किए गए जल उपभोग शुल्क (Water User Charge) के अनुसार नवीनतम तकनीकों (E-mail, SMS आदि) का उपयोग करते हुए सभी उपभोक्ताओं को विपत्र उपलब्ध कराया जायेगा। निकाय अथवा निकाय द्वारा राजस्व/कर संग्रहण करने हेतु चयनित संस्था के माध्यम से उपभोक्ताओं द्वारा विपत्र के विरुद्ध राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

घ) संवेदक को रख-रखाव के विरुद्ध राशि का भुगतान परियोजना के निविदा दस्तावेज में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

17. योजना कार्यान्वयन हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के अनुरूप निधि का प्रबंध सुनिश्चित करते हुए योजना कार्य पूर्ण किया जाएगा।
18. रामगढ़ शहरी जलापूर्ति योजना की लागत राशि (CAPEX) 49927.56 लाख रु., योजना के रख-रखाव एवं संचालन की लागत राशि (OPEX) 6153.64 लाख रु., भूमि अधिग्रहण की लागत राशि 200.00 लाख रु., तीनों मिलाकर कुल परियोजना लागत राशि 56281.20 लाख रु. पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
19. उपरोक्त प्रस्तावों पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 10.11.2022 को सम्पन्न बैठक में मद सं० 17 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव।
